रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062022-236213 CG-DL-E-01062022-236213

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2022/ज्येष्ठ 11, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2022/JYAISHTHA 11, 1944

No. 280]

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2022

# भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2022

- सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.083.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 194 के साथ पठित धारा 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) विनियमन, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -
- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2022 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 5 में, उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु अध्यक्ष अनुसूची II में दिए गए समेकित पारिश्रमिक को, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, संशोधित कर सकेगा।"

- 3. मूल विनियमों के विनियम 8 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
  - "(1) चयनित उम्मीदवार को, साधारणतया, यथास्थिति, अनुसंधान सहायक या सलाहकार के रूप में कम से कम एक वर्ष और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए संविदात्मक आधार पर नियोजित किया जाएगा:

3688 GI/2022 (1)

परन्तु अध्यक्ष, ऐसे नियोजन की अवधि को अधिकतम कुल पांच वर्षों तक, एक बार में एक वर्ष के लिए विस्तारित कर सकेगा।"

4. मुल विनियमों में, अनुसूची II के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

## "अनुसूची II

(विनियम 5 देखिए)

स्तर	सुसंगत शाखा में (नियोजन/व्यवसाय/अनुसंधान का) अनुभव (वर्ष)	समेकित मासिक पारिश्रमिक + 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि
स्तर I (अनुसंधान संहायक)	तीन वर्ष तक	60,000 रुपए
स्तर II (अनुसंधान संहायक)	न्यूनतम तीन वर्ष	80,000 रुपए
स्तर III (अनुसंधान संहायक)	न्यूनतम पांच वर्ष	1,05,000 रुपए
स्तर IV (सलाहकार)	न्यूनतम दस वर्ष	1,30,000 रुपए
स्तर V (सलाहकार)	न्यूनतम पन्द्रह वर्ष	1,55,000 रुपए"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./101/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) विनियमन 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 34 में तारीख 31 जनवरी, 2017 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.006, तारीख 30 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन, भारत कं राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 260 में तारीख 23 जुलाई, 2019 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.041, तारीख 23 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2019 द्वारा किया गया था।

# INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) (Amendment) Regulations, 2022

- **No. IBBI/2022-23/GN/REG083.** In exercise of the powers conferred by section 240 read with section 194 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (No. 31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) Regulations, 2017, namely:-
- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) (Amendment) Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as 'the principal regulations') in regulation 5, after sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that the Chairperson may amend the consolidated remuneration given in Schedule II for reasons to be recorded in writing."

- 3. In the principal regulations, in regulation 8, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
  - "(1) A selected candidate shall ordinarily be engaged as a Research Associate or Consultant, as the case may be, on contractual basis for a period not less than one year and up to three years:

Provided that the Chairperson may extend the term of such engagement, one year at a time, up to a maximum of total five years."

4. In the principal regulations, for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

#### "SCHEDULE II

(See regulation 5)

Level	Experience (Employment/ Practice/Research) in the relevant discipline (Years)	Consolidated Monthly Remuneration + 10 percent annual increase
Level I (Research Associate)	Up to three years	Rs. 60,000
Level II (Research Associate)	Minimum three years	Rs. 80,000
Level III (Research Associate)	Minimum five years	Rs. 1,05,000
Level IV (Consultant)	Minimum ten years	Rs. 1,30,000
Level V (Consultant)	Minimum fifteen years	Rs. 1,55,000

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./101/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) Regulations, 2017 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG006 dated 30th January, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 34 on 31st January, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) (Amendment) Regulations, 2019 published vide notification No. IBBI/2019-20/GN/REG041, dated the 23rd July, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 260 on 23rd July, 2019.